


21.05.2024:—आज यह पत्रावली वादीया अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी  
में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी  
अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दाखिल  
वादीया प्रतिवादीगण का आपस में लोक अदालत की भावना से  
राजीनामा हो गया है। इसलिए वादीया अब इस दावा को नहीं  
चलाना चाहते। वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज (झाप)  
फरमाया जावे। वादीया अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना  
पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद  
अवलोकन वादीया के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर  
करवाये गये। वादीया की पहचान वादी अधिवक्ता श्री देवदत्त  
भीडासरा द्वारा कि गई। पक्षकारान का राजीनामा हो जाने के  
कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादीया का  
वादपत्र मौजूदा सूरत में विझा किया जाता है। पत्रावली नम्बर  
से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलेक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

दुमनागढ़

